

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010

E-mail: Jharkhand_ssc@rediffmail.com

झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2017

आवश्यक सूचना

दिनांक-27.06.2018

दिनांक-11.05.2018 से दिनांक-12.06.2018 तक संपन्न झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2017 से संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच क्रम में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संबंधी निम्नलिखित विसंगतियाँ पायी गयी हैं:-

1. प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में पाया गया है कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा (क) उपायुक्त/अनमंडल पदाधिकारी स्तर से न्यून स्तर के (अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी) के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (ख) Online आवेदन पत्र में दर्ज प्रमाण पत्र संख्या/निर्गत तिथि एवं अंतिम रूप से प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की संख्या/निर्गत तिथि में भिन्नता पायी गयी इन सभी के प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि में निर्गत प्रमाण पत्र पाया गया है। (ग) आवेदन में दावा किया गया आरक्षण कोटि से भिन्न कोटि का प्रमाण पत्र विशेषकर पिछड़ा वर्ग अनुसूची- 2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। (घ) पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2/अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 का दावा अपने आवेदन पत्र में किया गया है परन्तु उनके द्वारा उल्लेखित कोटि का प्रमाण पत्र नहीं देकर भारत सरकार में नियोजन हेतु निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। स्पष्ट है कि इन प्रमाण पत्रों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 कोटि में आरक्षण के लाभ हेतु परीक्षा के विवरणिका की कंडिका- 7(III)(i) एवं 7(III)(ii) के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों से कारण पृच्छा की गयी। कारण पृच्छा के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण परीक्षा की विवरणिका के प्रावधानों के अनुरूप संतोषजनक नहीं पाया गया।

परीक्षा विवरणिका की कंडिकाओं क्रमशः कंडिका- 7(III)(i), 7(III)(ii) 7(III)(v) एवं कंडिका-9 के आलोक में परीक्षा हेतु आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक-13.08.2017 तक आरक्षित कोटि के ऐसे सभी संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र (EBC-I/BC-II/ST/SC) में समक्ष प्राधिकार (उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी) के स्तर से निर्गत आरक्षण संबंधी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा आवेदन देने की तिथि को आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने की अर्हता उनके पास नहीं थी एवं इनके द्वारा गलत तथ्य आवेदन में दिये गये। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित 112 (एक सौ बारह) अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में स्थानांतरित किया जाता है:-

अनुक्रमांक- 17131100158, 17131300598, 17131300616, 17131300642, 17131500938, 17131701238, 17131701598, 17131801756, 17131801793, 17131902154, 17131902345, 17132002444, 17132002450, 17132102697, 17132102704, 17132102715, 17132102879,

17132102992, 17132103102, 17132103210, 18131304132, 18131404193, 18131604519, 18131604607, 18131704664, 18131704859, 18131705071, 18131705132, 18131805251, 18131805325, 18131905606, 18132106579, 18132106650, 19131107177, 19131107206, 19131107243, 19131107254, 19131107283, 19131207432, 19131307479, 19131307519, 19131407667, 19131407735, 19131507819, 19131607931, 19131608057, 19131708098, 19131708384, 19131708391, 19131708523, 19131808607, 19131808611, 19131808754, 19132309694, 20121009772, 20121009819, 20121109865, 20121109937, 20121110077, 20121110152, 20121210210, 20121210211, 20121310334, 20121310356, 20121410530, 20121510598, 20121610816, 20121711022, 20121711172, 20121811419, 20122012118, 20122312438, 20161009790, 20161410462, 20161610723, 20161610758, 20161610868, 20161711261, 20161711291, 20161811437, 20161811562, 20171911712, 20201310344, 20201410454, 20201911822, 21121112529, 21121112652, 21121112762, 21121212860, 21121312989, 21121313010, 21121613346, 21121613378, 21121613458, 21121713859, 21121713872, 21121713889, 21121713946, 21121713979, 21121814034, 21121914244, 21121914468, 21122214876, 21161312935, 21161713631, 21161713766, 21161814093, 21162315039, 21162315080, 21201112476, 21201413113, 21201613449. (कुल-112)

2. आवेदन के अंतिम तिथि दिनांक-13.08.2017 तक वांछित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने के फलस्वरूप परीक्षा के विवरणिका की कंडिका- 9 के आलोक में 07 (सात) अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है:-

अनुक्रमांक-17131902262, 19131908834, 20122312386, 21121613490, 21181914257, 1241112765, 20121711020 (कुल-07)

3. आवेदन पत्र में अंकित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम तथा भौतिक रूप से प्रस्तुत किये गये विश्वविद्यालय के मूल प्रमाण में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नाम में अन्तर पाये जाने के कारण ऐसे अभ्यर्थियों से कारण पृच्छा की गयी थी। कारण पृच्छा के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण परीक्षा की विवरणिका के प्रावधानों के अनुरूप संतोषजनक नहीं पाया गया। इनके द्वारा गलत तथ्य आवेदन में दिये जाने के फलस्वरूप परीक्षा के विवरणिका की कंडिका- 15 (4) के आलोक में निम्नलिखित 02 (दो) अभ्यर्थियों को अभ्यर्थिता रद्द की जाती है:-

अनुक्रमांक- 19131708143, 21121914609. (कुल-02)

4. आयोग द्वारा आयोजित प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम अंतर्गत जाली/फर्जी प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने के कारण ऐसे अभ्यर्थियों से कारण पृच्छा की गयी थी। कारण पृच्छा के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। फलस्वरूप परीक्षा के विवरणिका की कंडिका- 15 (4) के आलोक में निम्नलिखित 03 (तीन) अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है:-

अनुक्रमांक-19131207450, 19131307497, 21121513296. (कुल-03)

ह./-
परीक्षा नियंत्रक।